

सम्पत्ति कर की घर बैठे जानकारी करना एवं जमा कराने की ऑनलाइन व्यवस्था

- सम्पत्ति कर की जानकारी ऑनलाइन नगर निगम की वेबसाइट से सीधे की जा सकती है।
- किसी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा है या नहीं इसकी जानकारी भी की जा सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति अपने सम्पत्ति कर को ऑनलाइन जमा करना चाहता है तो वह ऑनलाइन टैक्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकता है।
- आवासीय सम्पत्तियों के टैक्स निर्धारण हेतु स्वःकर फार्म निम्न प्रकार है। कृपया यहाँ क्लिक करें। -----
- मोहल्ले/सड़कवार दरों का निर्धारण किया गया है। इन दरों के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने घर का टैक्स स्वयं निर्धारण कर सकता है। दरों के लिए यहाँ क्लिक करें। -----